





## कार्यालय अपर महानिदेशक

O/o The Additional Director General राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, क्षेत्रीय परिसर जयपुर NACIN, Zonal Campus Jaipur

117, संतोष नगर, सिविल लाईन्स मेट्रो स्टेशन के पास, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 (Mail ID–<u>nacinzti-jai-rj@gov.in;</u> Tel.No.0141-2225001-4, Fax No.0141-2225002)

## सेवा में

## The Cadre Controlling Authorities of Customs and CGST

(Ahmedabad/Bengaluru/Bhopal/Bhubaneshwar/Chandigarh/Chennai/Delhi/Guwahati/Hyderabad/Kolkata/Lucknow/Meerut/Mumbai/Nagpur/Panchkula/Pune/Ranchi/Thiruvananthapuram/Vadodara/Visakhapatnam)

The Cadre Controlling Authorities of Directorates Generals (CBIC)

महोदया/महोदय,

विषय: राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी, जयपुर के क्षेत्रीय परिसर में कार्यकारी सहायक/कर सहायक एवं आशुलिपिक के ग्रेड में ऋण के आधार पर तैनाती हेतु इच्छुक अधिकारियों के लिए सुचना पत्र के संबंध में।

Sub: Notice calling for the willingness of officers for posting on loan basis in the grade of Executive Assistant/Tax Assistant & Stenographer in the Zonal Campus of National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics, Jaipur- regarding

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, जयपुर के क्षेत्रीय परिसर में ऋण आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

Applications are invited to fill up the following posts on loan basis in the Zonal Campus of National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics, Jaipur :-

क्रम. सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	कार्यकारी सहायक/कर सहायक Executive	1
	Assistant/Tax Assistant	
2	आशुलिपिक/ Stenographer	1

- 2. सी.जी.एस.टी. एवं सीमा शुल्क संरचनाओं और सी.बी.आई.सी. के अंतर्गत निदेशालयों से समान वेतनमान व समरूप पदस्थ अधिकारियों में से यह पद ऋण के आधार पर भरा जाएगा। These posts will be filled up on loan basis from amongst the officers working under CGST & Customs formations and from amongst officers holding analogous posts in the Directorates under CBIC in the same pay scale.
- 3. प्रारंभ में ऋण की अवधि दो वर्ष के लिए होगी एवं इसे संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की सहमति से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त,बोर्ड के पत्र फ़ा.सं A-11013/12/2019-Ad IV दिनांकित 27.05.2020 के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों एवं न्यायोचित कारणों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिकारियों के कार्यकाल को 3 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है / The period of loan is initially for two years and can be further extended for one year at the discretion of the Competent Authority with the concurrence of the cadre controlling authority concerned. Further, as per Board letter F.No. A-11013/12/2019-Ad IV dated 27.05.2020, in exceptional

circumstances, for justifiable reasons, the Board may extend the tenure of the officers beyond the 3 years.

- 4. इच्छुक अधिकारियों के आवेदन संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रधान अपर महानिदेशक, जयपुर को ई-मेल आईडी (nacinzti-jai-rj@gov.in) पर पिछली तैनातियों के विवरण, पिछले 3 वर्षों तक की अपार ग्रेडिंग, सतर्कता प्रमाण पत्र और संबंधित सी.सी.ए.(CCA) से 13.12.2024 तक के "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के साथ अग्रेषित किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय सीसीए से 'एनओसी'के बिना अग्रेषित आवेदनों की अग्रिम प्रतियों पर विचार नहीं किया जाएगा /Applications of interested officers may be forwarded by the CCAs to the Pr.ADG, NACIN Jaipur at e-mail id (nacinzti-jai-rj@gov.in) along with History of Posting, APAR grading up to the previous 3 years, Vigilance Certificate and "No Objection Certificate" from the concerned CCAs latest by 13.12.2024. Advance copies of the applications, without 'NOC' from the zonal CCAs, will not be considered.
- 5. नासिन, जयपुर में नियुक्ति के लिए चयनित अधिकारी महानिदेशक, नासिन के आदेश F.No.NACIN/II/7/1/2023 दिनांक 11.09.2023 के अनुसार उनके मूल वेतन के 24% की दर से प्रशिक्षण भत्ते के हकदार हैं / The officer selected for appointment at NACIN, Jaipur is entitled to training allowance @ 24% of their basic pay as per order of Director General, NACIN in reference F.No.NACIN/II/7/1/2023 dated 11.09.2023.
- 6. अधिकारी का कार्य और आचरण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में, ऋण अविध के पूर्ण होने से पूर्व भी अधिकारी को उनके मूल कार्यालय में वापस भेजा जा सकता है / In case, the work and conduct of the officer is not found to be satisfactory, the officer can be reverted to the parent organization even before the completion of the loan period.
- 7. चयनित अधिकारी को अपने/ अपनीआवास की स्वयं व्यवस्था करनी होगी / Selected officers will have to make their own arrangements for residential accommodation.
- 8. नियमानुसार, चयनित अधिकारी अपना वेतन एवं अन्य भत्ते अपने मूल कार्यालय से प्राप्त करते रहेंगे /The officers selected will continue to draw their salary and other allowances from their parent organization, as per rule.
- 9. अनुरोध किया जाता है कि इस सूचना पत्र को आपके आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत पात्र अधिकारियों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए / It is requested that the notice may be widely circulated amongst the eligible officers under your jurisdictions

भवदीय,

(संजय गुप्ता) प्रधान अपर महानिदेशक

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महानिदेशक, नासिन पालासमुन्द्रम / The Pr. Director General, NACIN, Palasamundram

2. वेबमास्टर, सीबीआईसी से अनुरोध है कि इस सूचना पत्र को विभागीय अधिकारियों- रिक्ति परिपत्रों के तहत सीबीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करें / The Webmaster, CBIC with request to upload this notice on the CBIC Website under Departmental Officers- Vacancy Circulars